फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

अशोकी बाई — बिरुद्ध — किशनलाल

कस्बा — वाद — पत्रावली संख्या 70/15 — सन् _____

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
24/9/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अधिवक्ता/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पा उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो./ग्राम अधिकारी/सरपंच/निर्वाचन से पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 10/12/20 को पेश हो।	
10/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अधिवक्ता/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पा उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो./ग्राम अधिकारी/सरपंच/निर्वाचन से पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 04/03/21 को पेश हो।	
17/12/20 पत्रावली अधिवक्ता वादी श्री अशोक सेन द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी का पेश करने पर तलब की गई। वादी ~~प्रार्थी~~ अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। इसलिए अब पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर पत्रावली को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से पत्रावली इसी स्तर पर ड्रोप की जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर रजिस्टर से कटी। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (SDO) मावली 17/12/21	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.01.18 15:58:09 IST
Reason: SelfAttested